भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3208

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई पर वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव

3208. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान सहित देश भर में 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की संख्या और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) 2024-25 में ऋण स्वीकृतियों और लाभार्थियों की संख्या में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एमएसएमई पर वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों के माध्यम से एमएसएमई को अधिक ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) विगत तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान राजस्थान सहित देश-भर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक I** में है।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए, ऋण की अंतिम स्वीकृति और निर्मुक्ति का कार्य संबंधित बैंक के स्तर पर किया जाता है। प्रति इकाई औसत परियोजना लागत वित्त वर्ष 2021-22 के 9.83 लाख रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 12.36 लाख रुपये हो गई, जिसके परिणामस्वरूप स्कीम के अंतर्गत प्रति इकाई मार्जिन मनी सब्सिडी व्यय में वृद्धि हुई है, जिससे स्वीकृत बजट की उपलब्धता के अनुसार सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ग): नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के सहयोग से "भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन" नामक एक विस्तृत रिपोर्ट में मूल्यांकन किया है, जिसमें एमएसएमई पर वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थितियों के प्रभाव का आकलन किया गया है।

(घ): बैंकों के माध्यम से एमएसएमई को अधिक ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुसार, एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण, जो इसमें निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसई श्रेणी की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

iii. ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट निधि के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के ऋणों के लिए 90% तक गारंटी कवरेज के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 करोड़ रुपये (दिनांक 01.04.2025 से प्रवृत्त) की सीमा तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

iv. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से उन्हें औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है।

v. आत्मनिर्भर भारत कोष की स्थापना उन एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश के लिए की गई है, जिनमें बढ़ने और अर्थक्षम बनने की क्षमता है ताकि वे आगे चलकर बड़े उद्योगों के रूप में विकसित हो सकें।

vi. एमएसएमई को भुगतान में होने वाले विलंब की समस्या का समाधान करने हेतु, कई वित्तपोषकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं, से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना की गई है।

vii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत को विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है, जिससे स्कीम का दायरा और विस्तृत हो गया है।

****

अनुलग्नक I दिनांक 07.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3208 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित।

राजस्थान सहित देश भर में वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों और लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान निकोबार	315	121	340	135	195	61
2	आंध्र प्रदेश	5692	3073	11473	5577	7977	3249
3	अरुणाचल प्रदेश	250	158	243	169	144	156
4	असम	3897	2596	3734	2417	3236	3170
5	बिहार	8119	4459	12013	6837	7715	5035
6	चंडीगढ़	18	15	15	10	15	5
7	छतीसगढ़	3900	2543	3510	2379	2951	1853
8	दिल्ली	128	72	81	50	52	26
9	गोवा	121	66	108	68	67	39
10	गुजरात*	4529	3071	4488	3000	2445	1783
11	हरियाणा	2487	1559	2762	1398	1925	788
12	हिमाचल प्रदेश	1598	930	2072	974	1256	796
13	जम्मू कश्मीर	26785	12023	25606	15065	17579	9863
14	झारखंड	2719	1851	3551	2101	2047	1452
15	कर्नाटक	8273	5618	7944	4672	6753	2839
16	केरल	6196	3129	6401	3389	5837	2260
17	लद्दाख	239	91	177	122	136	135
18	लक्षद्वीप	1	2	1	0	2	0
19	मध्य प्रदेश	9241	5957	7777	5292	835	2626
20	महाराष्ट्र**	6159	3625	6131	2766	5159	1857
21	मणिपुर	879	545	740	348	525	608
22	मेघालय	886	306	1217	280	1027	1114
23	मिजोरम	574	412	414	401	366	484
24	नागालैंड	1228	469	1320	517	678	1262
25	ओडिशा	5327	3880	5174	2975	4708	1867
26	पुदुचेरी	44	25	86	30	72	38
27	पंजाब	2410	1564	3005	1469	2368	970
28	राजस्थान	3161	2037	3781	1678	3319	916
29	सिक्किम	176	57	608	132	465	316
30	तमिलनाडु	11555	6140	16562	6814	12007	3949
31	तेलंगाना	4543	2540	5833	2503	3857	1850
32	त्रिपुरा	1002	703	957	588	720	730
33	उत्तर प्रदेश	19678	11601	19562	11689	7421	5518
34	उत्तराखंड	2431	1803	2176	1354	1056	734
35	पश्चिम बंगाल	3044	2126	2903	1919	2571	1359
योग		**147605**	**85167**	**162765**	**89118**	**107486**	**59708**

दमण और दीव सहित ** दादरा और नगर हवेली सहित